: श्री :

जय गोमाता | जय गोपाल | जय श्री राम

राजेन्द्र प्रसाद सिंहल

एम.कॉम

महामन्त्री :
भारत माता कल्याण प्रन्यास
(भारतीय संस्कृति के ज्ञान-विज्ञान का प्रचार-प्रसार)

संस्थापक एवं प्रबन्ध न्यासी :
कामधेनू सेवा केन्द्र
(देसी गोवंश व जड़ी बुटियों का विकास)

आजीवन न्यासी :
हनुमत धाम शुक तीर्थ
मुज्जफर नगर (उ.प्र.)

संस्थापक न्यासी :
भारतीय गोवंश रक्षण सम्बंध परिषद
रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली

संरक्षक :
हरिजन एवम् पिछड़ा वर्ग सुधार समिति
स्वतन्त्र नगर, नरेला, दिल्ली

क्रमांक 167 | दिनांक 22-8-12

Speed Post

श्री मान महामहिम उपराज्यपाल महोदय जी
अध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण
राजनिवास ,नई दिल्ली ।

AC (PLG) MPPR
Dairy No. 1236
Date 04/09/12

विषय :–**दिल्ली मुख्य योजना 2021 की समीक्षा में जनता की भागीदारी**

महोदय ,

दि0वि0प्रा0 द्वारा मास्टर प्लान 2021 की समीक्षा के दौरान 30 अप्रेल 2012 ,को मधुबन चौक पीतमपुरा दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यालय दिनांक 30–7–12 को विकास सदन I.N.A. मार्किट ,दि0वि0प्रा0 एवम 21–8–12 को दिल्ली सचिवालय प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ । जन सुनवाई के दौरान गांव के विषय में जो एक महत्वपूर्ण बिन्दु सामने आया उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

- गांव के किसानो को यह भय है कि जो गांव शहरी विस्तार (जिसके अर्न्तगत तीसरे मास्टर प्लान में 6 जोन है)परिधि में आ गये तो उनके लिये आवास व व्यवसाय की समस्या पैदा हो जावेगी ।
- जिसके कारण किसान मांग करते है कि गांव के चारो ओर 100 मीटर से 500 मीटर तक जगह छोडकर योजना बनाई जावे व पहले हमारी चकबन्दी की जावें ।
- दिल्ली में चकबन्दी की कार्यवाही की कहानी बडी विचित्र है । यह दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा की जाती है । उदाहरण के रूप में बिजवासन गांव में सन 1976 में अलीपुर में सन 1985 में सिंघोला ,कंझावला व पुठ खुर्द ,खेडा कंला में सन 1996 में चकबन्दी शुरू हुई जो अब तक पुरी नही हो पाई।
- तीसरे मास्टर प्लान में विकसित जमीन में किसानो की भागीदारी की मुल अवधारणा है ।

क्रमांक.....2/–

निवास व पत्र व्यवहार : के.एन. 312, अग्रसेन मार्किट, बवाना रोड, स्टेट बैंक के सामने नरेला, दिल्ली-110040
दूरभाष : 27282881 • मोबाईल 9810055638

- जब किसान को विकसित जमीन में हिस्सेदारी मिलेगी तो वह आवास व व्यवसाय के लिये विकसित जमीन का प्रयोग कर सकता है ।
- विकसित जमीन में भागीदारी की अवधारणा (बात) जन सुनवाई के दौरान मौजुद किसी भी अधिकारी ने किसानो को नही बताई जिसके कारण बार–2 यह बात किसानो द्धारा व उनके प्रतिनिधियो द्धारा उठाई जाती रही
- इसके अतिरिक्त गांव में निर्माण करने में बाधा की बात भी जोर शोर से उठाई गई तथा किसानो द्धारा बिना रोक टोक के लाल डोरे में निर्माण की मांग की गई जबकि 17/1/11 की अधिसुचना न0 F-3(28/2008/M.P./Part द्धारा दिल्ली में बिल्डिग वाईलाज लागु हो गये है व परिपत्र न0 TP/G/3426/2011 दिनांक 28/9/11 के द्धारा दिल्ली नगर निगम ने बिना Lay out Plan के भवन निर्माण के नक्शों की स्वीकृत देने का आदेश जारी कर दिया है ।

मैं समझता हूं की यदि भागीदारी अवधारणा व नक्शो की स्वीकृत के लाभ किसानो को बताये जावेगे तो उनका भय दुर हो जावेगा व तीसरे मास्टर प्लान के कियान्वन में किसानो का रोष ,क्रोध जो कि आन्दोलनो के माध्यम से होता है सरकार को सामना नही करना पडेगा –

धन्यवाद

आपका अपना

राजेन्द्र प्रसाद सिंहल